

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 16.06.2017

स्पष्टीकरण

एक प्रारम्भिक जारी जाँच (पी.ई.) के सन्दर्भ में मीडिया के कुछ क्षेत्रों की रिपोर्टों/ सवालों के बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि उप-मुख्य मंत्री, दिल्ली के परिसर में आज कोई छापा या तलाशी नहीं की गई है।

सीबीआई ने प्रारम्भिक जाँच के सन्दर्भ में कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण जानने के लिए आज उनके आवास का दौरा किया। इस बातचीत का समय व स्थान उक्त दौरे के पहले ही उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार सीबीआई को सूचित किया था।

“ टाक टू ए.के.” कार्यक्रम के लिए जुलाई, 2016 में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार के कार्य के आवंटन में जाँच चाहते हुए उप-सचिव (सर्तकता) से प्राप्त शिकायत के आधार पर उप-मुख्य मंत्री, दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अज्ञात कर्मियों तथा अन्य अज्ञात के विरुद्ध एक प्रारम्भिक जाँच दर्ज की गई। ऐसा भी आरोप था कि प्राइवेट कम्पनी को कार्य के आवंटन में कुछ वित्तीय अनियमितताएँ पाई गई थी।

आग की जाँच पड़ताल जारी है।
